न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:–30/2018 प्रार्थना पत्र

1–श्री सम्पत कुमार पिता शंकरलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री अशोक कुमार पिता शंकरलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3–श्री विनोद कुमार पिता शंकरलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
4–श्री अनिल कुमार पिता शकरलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
5–माया पुत्री शंकरलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6–श्रीमति मुन्नी देवी पत्नि शकरलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
7–श्री राधेश्याम पिता रामचन्द्र विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर हाल आजादनगर–भीलवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थीगण

बनाम

1–श्री रामेश्वरलाल दत्तक पुत्र श्री भगवानलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर हाल मून्दड़ी वाले बालाजी के पास, कुम्भा छात्रावास रोड़, आजादनगर–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–श्रीमति सीता देवी पत्नि रामपाल बल्दवा, उम्र बालिग निवासी भदादाबाग–भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–श्रीमति उर्मिला देवी पत्नि बालूराम जाजू, उम्र बालिग निवासी भदादाबाग–भीलवाड़ा (राजस्थान)
4–श्री सुरेन्द्र पिता प्रहलाद विश्नोई (देवड़ा) उम्र बालिग निवासी हरिजन बस्ती–पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5–श्री दिनेश पिता प्रहलाद विश्नोइ (देवड़ा), उम्र बालिग निवासी हरिजन बस्ती–पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6–श्री निर्मल पिता प्रहलाद विश्नोई, उम्र बालिग निवासी हरिजन बस्ती–पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
7–सावित्री पुत्री प्रहलाद विश्नोई, उम्र बालिग निवासी हरिजन बस्ती–पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
8–शारदा पुत्री प्रहलाद विश्नोई, उम्र बालिग निवासी हरिजन बस्ती–पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
9–शकुन्तला पुत्री प्रहलाद विश्नोई, उम्र बालिग निवासी हरिजन बस्ती–पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
10–श्रीमति हगाम बाई पत्नि प्रहलाद विश्नोई, उम्र बालिग निवासी हरिजन बस्ती–पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
11–श्री हीरा पिता टेका विश्नोई, उम्र बालिग निवासी विश्नोई मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
12–श्री कैलाश पिता टेका विश्नोई, उम्र बालिग निवासी विश्नोई मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
13–श्री रूपलाल पिता त्रिलोक विश्नोई, उम्र बालिग निवासी विश्नोई मोहल्ला, पुर तहसील भीलवाड़ा
14–श्रीमति रेणु पत्नि संजय बाहेती, उम्र बालिग निवासी काबरा गली, भोपालगंज–भीलवाड़ा (राजस्थान)
15–श्रीमति सरला पत्नि राजेश बाहेती, उम्र बालिग निवासी काबरागली–भोपालगंज, भीलवाड़ा
16–श्री गोपाल लाल पिता रामचन्द्र विश्नोई, उम्र बालिग निवासी ग्यारसमाता मंदिर के सामने, पुर
17–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक:–25.2.2019

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7937/2, 7938/2, 7939, 7940, 7941, कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.1.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षी संख्या 1 से 15 व 17 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 15 व 17 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 21.3.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 16 की ओर से अधिकार पत्र श्री रितेश कुमार विश्नोई, एडवोकेट ने दिनांक 21.3.2018 को प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब आयन्दा देना चाहते हैं। अवसर दिया जाता हैं। विपक्षी संख्या 16 ने दिनांक 6.2.2019 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की । तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण विपक्षी संख्या 5 का दिनांक 6.2.2019 को जवाब बंद किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। जबकि वकील विपक्षी संख्या 16 ने उपस्थित होकर बहस करनी चाही। वकील विपक्षी संख्या 16 की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील विपक्षी संख्या 16 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7937/2, 7938/2, 7939, 7940, 7941, कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 500/–रूपये (पॉच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा